GCMS-2024/106

फर्द अहकाम
(नियम 26)
आज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
जगदेव सिंह वगैरा बनाम दिनेश कुमार
अपील प्रकरण सं० 31/2024

अधिवक्ता अपीलार्थी :- बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्टः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
10.07.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है क्योंकि अपीलांट के पिता स्व. करतार सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 1 बीबी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा चक 11 एम.एल. की संयुक्त खाता संख्या 13 के मुरब्बा नम्बर 27,37 व 38 की कुल 36 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि में से गंगाराम पुत्र सीताराम से 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.06.1963 को खरीद किया जिसका इन्तकाल संख्या 92 दिनांक 27.04.1989 को करतार सिंह पुत्र श्री बरयाम सिंह के नाम से दर्ज हुआ। इन्ताकल दर्ज करते वक्त त्रुटिवंश करतार सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति मजहबीसिंख के स्थान पर सहवन से जाति जटसिख दर्ज हो गई एवं जमाबन्दी सम्वत् 2056 जब बनी तो हल्का पटवारी से लिपिकीय त्रुटिवंश करतार सिंह पुत्र बरयाम जाति मजहबीसिंख के स्थान पर करतार सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख दर्ज हो गई जिसकी दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष वर्ष 2015 में 136 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत के तहत प्रकरण संख्या 116/16 दर्ज हुआ लेकिन उपखण्ड, अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा सहवन से अनवान जीत सिंह बनाम स्टेट दर्ज हो गया जबकि सही अनवान जगदेव सिंह बनाम स्टेट है। जिसका निर्णय दिनांक 22.06.2017 को राजस्व लोक अदालत , न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 को कैम्प ग्राम पंचायत खाटलवाना में पारित कर प्रकरण खारिज कर दिया गया जिसकी सूचना अपीलांट संख्या 01 को नहीं मिली। उपखण्ड अधिकारी, द्वारा साक्ष्य के अभाव में प्रकरण खारिज किया गया, जबकि वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर कब्जा अपीलाट का है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज मुखत्यारनामा वर्ष 2023 में बनाई जाकर उक्त विवादित भूमि की रजि० करवाई गई जिसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा चुकी है, जिसमें जांच विचाराधीन है एवं अपीलांट द्वारा बाबत दुरूस्ती प्रकरण संख्या 21/2020 उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां विचाराधीन भी है। अतः प्रथमा दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 06 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक तहसील श्रीगंगानगर के चक 11 एम.एल. के इन्तकाल संख्या 594 दिनांक 07.05.2024 में दर्ज भूमि को रहनबैय व हस्तान्तरण नहीं करेगें एवं मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 12.08.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)	1209-1210 10/7/24

Scanned with OKEN Scanner

09.09.2025

अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में अपील की तारीख पेशी 23.09.2025 नियत है। प्रार्थी अपीलांट की अपील में श्रीमान् न्यायायल द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 10.07.2024 को जारी किया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेंट का पंचायत बिरादरी ने आपस में राजीनामा करवा दिया है। उक्त राजीनामा लोकअदालत की भावना से किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपीलांट की मिसल पेशी में ली जाकर अपील में जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर अपील दाखिल दफ्तर करने के आदेश फरमावें।

फलस्वरूप अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंन्टस का आपस में पंचायत द्वारा राजीनामा हो जाने के कारण एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को आगे न चलाकर दाखिल दफ्तर करवाने पर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को भेजी जावे। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०),
श्रीगंगानगर

Identity by me
9/9/25